बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०–1/पा०मे०–01/2023– २४(1) /स्वा०, पटना, दिनांक– 17/01/2024

माँ कलावती डेवलपमेंट फाउण्डेशन, गोविन्द भवन, वीर कुँवर सिंह पथ, एम०जी० रोड, न्यू एरिया, औरंगाबाद से प्राप्त आवेदन के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–1028(1), दिनांक–31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–95(1), दिनांक–14.02.2023 द्वारा निरीक्षण समिति गठित की गयी। निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में देव वैली ग्लोवल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल, ग्राम–एरका, पो0–अम्बा, थाना–कुटुम्बा, ज़िला–औरंगावाद (विहार) को निम्नांकित पारा मेडिकल डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में सत्र 2024–25 से संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
(i)	डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट	60 सीट
(ii)	सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर	60 सीट
(iii)	डिप्लोमा इन ई0सी0जी0	60 सीट
(iv)	डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नीशियन	60 सीट
(v)	डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन (डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी)	60 सीट
(vi)	डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी	60 सीट
(vii)	डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर	60 सीट
(viii)	डिप्लोमा इन आकुपेशनल थेरापी	60 सीट
(ix)	डिप्लोमा इन ऑफ्थलमिक असिस्टेंट	60 सीट
(x)	डिप्लोमा इन हियरिंग लैंगुएज एण्ड स्पीच थेरापी	60 सीट

निम्न डिग्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र अंकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है–

क्र0सं0	डिग्री पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
(i)	बैचलर इन फिजियोथेरापी	60 सीट
(ii)	बैचलर इन आकुपेशनल थेरापी	60 सीट
(iii)	बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट	60 सीट
(iv)	बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी	60 सीट
(v)	बैचलर इन मेडिकल लेबोरेट्री टेक्नोलॉजी	60 सीट
(vi)	बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	60 सीट
(vii)	बैचलर इन ऑफ्थलमिक टेक्नोलॉजी	60 सीट

क्रमशः

2- यह अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी, जिसका अनुपालन माँ कलावती डेवलपमेंट फाउण्डेशन, औरंगाबाद द्वारा प्रस्तावित देव वैली ग्लोबल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल, ग्राम-एरका, पो0-अम्बा, थाना-कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद (विहार) द्वारा किया जायेगा-

(i) स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1028(1), दिनांक-31.12.05 द्वारा आख्यापित बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 में निर्धारित शर्त्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(ii) संस्थान द्वारा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही पारा मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जायेगा।

(iii) संस्थान अपने कार्यरत सभी फैकल्टी/कर्मियों के वेतन का भुगतान आधार सीडेड बैंक एकाउण्ट के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगी।

(iv) बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 के नियम-5(ii) के आलोक में संस्थान को प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक रुपये 5,000/-(रुपये पाँच हजार) का शुल्क सामान्य वार्षिक जाँच के लिए जमा करना अनिवार्य होगा।

(v) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम/परिनियम का पालन संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

(vi) भविष्य में संस्थान के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात जाँचोपरान्त पाई जायेगी तो वैसी स्थिति में सरकार संस्थान की मान्यता वापस ले लेगी।

(vii) संस्थान द्वारा पारा मेडिकल विषयों में निर्गत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।

3- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.1.24.

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः-1/पा0मे0-01/2023- 24(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 17/01 /2024

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, प्रभारी 'ई' गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- परीक्षा नियत्रंक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पुराना बस स्टैण्ड के नजदीक, मीठापुर, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सचिव, माँ कलावती डेवलपमेंट फाउण्डेशन, गोविन्द भवन, वीर कुँवर सिंह पथ, एम0जी0 रोड, न्यू एरिया, औरंगाबाद (बिहार)-824101/सचिव, देव वैली ग्लोबल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल, ग्राम-एरका, पो0-अम्बा, थाना-कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद (विहार)-824111 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्रमशः

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल एक्जामिनेशन कमिटी, नालन्दा मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी–1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.24

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/12/2024

अ॰सं॰:संब0–6144/2024–1557/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–27.11.2023 को गैर–सरकारी पारा मेडिकल महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी पारा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थान को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2024–25 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of the Paramedical Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Vidyapati Institute of Higher Education, Mishri Singh Vishwamohini Nagar, PO+PS-Dalsinghsarai, Dist-Samastipur 848114	Samastipur	Bachelor of Medical Laboratory Technician	100
			Bachelor of Occupational Therapy	100
2	Dev Valley Global School of Nursing & Paramedical, Erka, Amba, Dist-Aurangabad, 824111	Aurangabad	Bachelor of Physiotherapy	60
			Bachelor of Medical Laboratory Technology	60
			Bachelor of Operation Theatre Technology	60

नियम एवं शर्त्तें:–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
4. संबंधित महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा मांग किए जाने पर जमा करेंगे।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/सक्षम प्राधिकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
7. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

Scanned with OKEN Sca

8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा निमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
10. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब.–6144/2024–1557 / पटना, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित पारा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब.–6144/2024–1557 / पटना, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब.–6144/2024–1557 / पटना, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(परीक्षा)/डीन(फार्मेसी)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

Scanned with OKEN Sca

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

गीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 06/02/2025

अ॰सं॰:संब0–6144/2024–...132...../ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–**30.01.2025** को गैर–सरकारी पारा मेडिकल महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी पारा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थान को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2024–25** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of the Paramedical Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Dev Valley Global School of Nursing & Paramedical	Aurangabad	Bachelor in Hospital Management	60

नियम एवं शर्त्तेः–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
4. संबंधित महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/सक्षम प्राधिकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
7. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

10. महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य / सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

5/2/2025

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं०–6144 / 2024–132 / पटना, दिनांक 06/02/2025

प्रतिलिपि–प्राचार्य / निदेशक / सचिव, संबंधित पारा मेडिकल महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

5/2/2025
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं०–6144 / 2024–132 / पटना, दिनांक 06/02/2025

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/2/2025
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं०–6144 / 2024–132 / पटना, दिनांक 06/02/2025

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक) / डीन(परीक्षा) / डीन(फार्मेसी) / परीक्षा नियंत्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/2/2025
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना